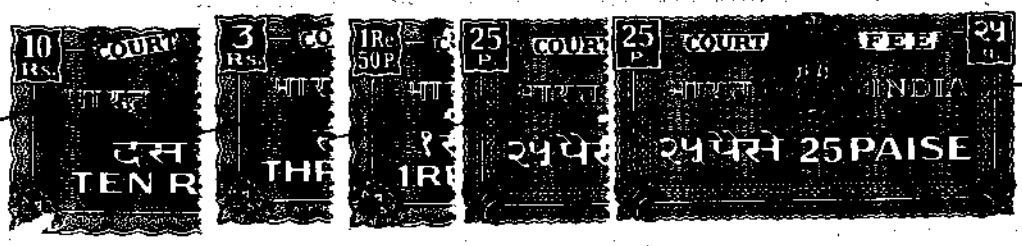

7

10 Rs. COURT भारत दस TEN R | 3 Rs. CO भारत THR | 1Re 50P भारत १रु 1RE | 25 P. COURT भारत २५ पैसे | 25 P. COURT FEE भारत INDIA २५ पैसे 25 PAISE

59

-1-

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /पुनरीक्षण

R-2281-4/98

1. शेरसिंह पुत्र श्री भैयालाल दांगी
2. प्रागसिंह पुत्र श्री भैयालाल दांगी
3. चितारसिंह पुत्र श्री भैयालाल दा
4. उधमसिंह पुत्र श्री भैयालाल दांगी
समस्त निवासीगण ग्राम आंकरी, मुंगावली, जिला गुना [म.प्र.]
... आ

वि.

1. रवीन्द्र कुमार पुत्र श्री हवेलीराम
2. श्रीमती सुनीता कुमारी पत्नी श्री
3. आनन्द कुमार पुत्र श्री चिमनलाल
समस्त नि.गण अशोकनगर तहसील नगर जिला गुना [म.प्र.] ..प्र

न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्र. 91/ अपील में पारित आदेश दिनांक 8.10.1998 के विरुद्ध म.प्र. भू.राजस्व सं 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण आवेदन ।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है कि :-

<u>मामले के संक्षिप्त तथ्य</u>

1. यह कि ग्राम आंकरी, तहसील मुंगावली में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 249/1 5.017 है. आवेदकगण के स्वत्व व आधिपत्य की थी, उक्त भूमि को आवे के तथाकथित मुख्तारआम करतारसिंह द्वारा अनावेदकगण को दिनांक 29.4 विक्रय कर दिये जाने के आधार पर अनावेदकगण द्वारा उक्त विक्रय पत्र के

....

(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

क्रमांक 2281-चार/1998 निगरानी जिला अशोकनगर

तारीख	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषकों के हस्ताक्षर
4-8-16	अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 91/1995-96 अपील में पारित आदेश दिनांक 8-10-98 के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। इसी निगरानी प्रकरण में पारित अंतिम आदेश दिनांक 19-2-1999 से निगरानी अग्राह्य की गई थी, जिसके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन कमांक 1486/99 दायर होने पर आदेश दिनांक 17-8-2003 से आदेश दिनांक 19-2-1999 निरस्त किया गया है, जिसके पालन में निगरानी पुर्नप्रारंभ की गई है। 2/ आवेदकगण के अभिभाषक श्री बिनोद भार्गव को सुना गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है। 3/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम ऑकसी स्थित भूमि सर्वे कमांक 249/1 रकबा 5.017 हैक्टेयर का विकय भूमिस्वामी के मुख्त्यारआम ने दिनांक 29-4-93 को किया है जिसके आधार पर नामांत्रण पंजी के सरल कमांक 25 पर आदेश दिनांक 13-5-93 से केतागण अनावेदक का नामान्तरण किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली के समक्ष अपील हुई एंव नामांत्रण पंजी के सरल कमांक 25 पर आदेश	

दिनांक 13-5-93 से किया गया नामान्तरण निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसील न्यायालय में पक्षकारों की सुनवाई हेतु वापिस हुआ। नायब तहसीलदार मुंगावली ने प्रकरण कमांक 43 अ 6/93-94 दर्ज करके पक्षकारों को सुनवाई का मौका दिया एंव आदेश दिनांक 17-4-95 पारित करके विकय पत्र के आधार पर केताओं का नामान्तरण कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध पुनः अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 47/94-95 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-12-1995 से अपील निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 91/1995-96 अपील में पारित आदेश दिनांक 8-10-98 से अपील निरस्त हुई, जिसके विरूद्ध यह निगरानी है।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को के कम में उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि आवेदकगण की मूल आपत्ति यह है कि वादोक्त भूमि विकय के लिये उन्होंने मुख्त्यारआम नियुक्त नहीं किया है जिसके कारण मुख्त्यारआम व्दारा किया गया बैयनामा शून्य है और ऐसे बयानामा के आधार पर नामान्तरण नहीं किया जाना चाहिये। प्रकरण में आये तथ्यों से परिलक्षित है कि आवेदकगण ने मुख्त्याआम व्दारा किये गये विकय पत्र को शून्य घोषित कराने के लिये व्यवहार वाद दायर किया और यह व्यवहार वाद निरस्त हुआ है

निगरानी निरस्त की गई

जिसके कारण नायब तहसीलदार मुंगावली व्दारा प्रकरण कमांक 43 अ 6/93-94 आदेश दिनांक 17-4-95 पारित से विकय पत्र के आधार पर किये गये नामान्तरण में दोष दिखाई नहीं देता और इन्हीं कारणों से अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली ने प्रकरण कमांक 47/94-95 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-12-1995 में तथा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 91/1995-96 अपील में पारित आदेश दिनांक 8-10-98 में नायब तहसीलदार के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 91/1995-96 अपील में पारित आदेश दिनांक 8-10-98 विधिवत् होने से स्थिर रखा जाता है।

सदस्य